न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अयोध्या।

उपस्थितः रणंजय कुमार वर्मा (UP01908)..... एच०जे०एस०

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद (टी०ए०) सं०–42/2026

श्याम सिंह व एक अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व एक अन्य

05.06.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुयी। बार–बार पुकार करायी गयी।

पुकार पर आवेदकगण की ओर से स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र पर बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं है और न ही उनकी ओर से मौका हेतु कोई स्थगन प्रार्थनापत्र ही प्रस्तुत किया गया है।

आदेशपत्र के परिशीलन से दर्शित होता है कि उपरोक्त स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त से ही आवेदकगण की ओर से प्रार्थनापत्र पर बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि ओवदकगण को इस स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र के निस्तारण में कोई रूचि नहीं रह गयी है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि यह स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–8, अयोध्या में विचाराधीन प्रश्नगत अपील पत्रावलियों के स्थानान्तरण के संदर्भ में न्यायालय के विरूद्ध आरोप आक्षेपित करते हुए प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का उक्त न्यायालय से अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण हो चुका है, उक्त स्थिति में यह स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र वर्तमान में निष्प्रयोज्य भी हो चुकी है। तदनुसार इस स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र को अनन्तकाल तक लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र 3क आवेदकगण की अनुपस्थिति में बलाभाव एवं निष्प्रयोज्य होने के कारण निरस्त किया जाता है। तदनुसार प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है।

दिनाँक: 05.06.2026

(रणंजय कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अयोध्या।

Digitally signed by RANANJAY KUMAR VERMA
Date: 2026.06.05 16:31:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court